

राजभाषा हिंदी समिति एवं उप-समिति की संयुक्त बैठक का विवरण/कार्यवृत्त

राजभाषा हिंदी समिति एवं उप-समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 25.06.2025 को अपराह्न 4:30 बजे बोर्ड रूम में माननीय निदेशक प्रो. देविका पी. मदल्ली की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में सभी सदस्यों ने उपस्थित रह के चर्चा में उत्साहपूर्ण भाग लिया। / The joint meeting of the Rajbhasha Hindi Committee and Sub-Committee was held on 25.06.2025 at 4:30 PM in the Board Room under the chairmanship of Hon'ble Director, Prof. Devika P. Madalli. All members were present and participated actively in the discussions

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

(राजभाषा हिंदी समिति)

- | | |
|---|--------------|
| 1. प्रो. देविका पी. मदल्ली, निदेशक | - अध्यक्ष |
| 2. श्री मनोज कुमार के, वैज्ञानिक-एफ (सीएस) | - सदस्य |
| 3. डॉ. अभिषेक कुमार, वैज्ञानिक-ई (सीएस) | - सदस्य |
| 4. डॉ. कृति त्रिवेदी, वैज्ञानिक-डी (एलएस) | - सदस्य |
| 5. श्री दिनेश आर प्रधान, वैज्ञानिक-डी (एलएस) | - सदस्य |
| 6. श्री स्वप्निल पटेल, वैज्ञानिक-डी (सीएस) | - सदस्य |
| 7. श्री दिव्यकांत वाघेला, वैज्ञानिक-डी (सीएस) | - सदस्य |
| 8. श्री गौरव प्रकाश, वैज्ञानिक-सी (सीएस) | - सदस्य |
| 9. श्री पल्लब प्रधान, वैज्ञानिक-सी (एलएस) | - सदस्य |
| 10. श्री हरीश चंद्र, प्रशासनिक अधिकारी (पी एवं ए) | - सदस्य |
| 11. श्री श्याम टी यादव, कार्यालय सहायक-॥ | - सदस्य सचिव |

(राजभाषा हिंदी उप-समिति)

- | | |
|--|--------------|
| 12. डॉ. सुरभि, वैज्ञानिक-सी (एलएस) | - संयोजक |
| 13. श्री पल्लब प्रधान, वैज्ञानिक-सी (एलएस) | - सदस्य |
| 14. श्री विकास पाल, वैज्ञानिक-सी (एलएस) | - सदस्य |
| 15. श्रीमती अमृता देवी, वैज्ञानिक-बी (एलएस) | - सदस्य |
| 16. डॉ. नवनीत कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-बी (एलएस) | - सदस्य सचिव |

राजभाषा हिंदी समिति के सदस्य श्री यात्रिक पटेल, और श्री पल्लब प्रधान अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

समिति के सदस्यों ने दिनांक 18.06.2024 को आयोजित राजभाषा हिंदी समिति एवं उप-समिति की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित सुझावों तथा सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त पत्र संख्या 18/क्षेकक(एनएम)इं.आर./2024/105 दिनांक 06.05.2025 पर विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित सुझाव दिए: / The members of the Committee, after detailed discussion and deliberation on the suggestions mentioned in the minutes of the joint meeting of the Rajbhasha Hindi Committee and Sub-Committee held on 18.06.2024, and the letter No. 18/क्षेकक(नमू)निरि.रि./2024/105 dated 06.05.2025 received from the Assistant Director (Implementation), Regional Implementation Office (West), Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, made the following suggestions:

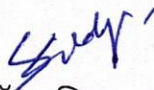
- .. केंद्र के सभी प्रभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जानी चाहिए कि उनके क्षेत्रों से संबंधित विषयों का द्विभाषी प्रारूप में अनुवाद किया जाए। / All the divisions of the Centre should be advised to ensure that the subjects pertaining to their areas are translated in a bilingual format.
2. सभी कर्मचारी राजभाषा (हिंदी) में किए गए अनुवादों/पत्राचार/ई-मेल आदि का रिकॉर्ड रखें तथा हर तीन माह के अंतराल पर सदस्य सचिव, हिंदी समिति को रिकॉर्ड दें। / All the employees should maintain a record of the translations/correspondence/e-mails etc. done in Rajbhasha (Hindi) and submit the record to the Member Secretary, Hindi Committee at an interval of every three months.
3. केंद्र की सभी परियोजनाओं की विवरणिका द्विभाषीय बनाई जानी चाहिए। / The brochures of all the projects of the Centre should be made bilingual.
4. केंद्र के सभी कर्मचारियों के पहचान पत्र या आई डी कार्ड द्विभाषी बनाए जाएं। / The Identity card or ID card of all the employees of the Centre should be made bilingual. (at back side Hindi)
5. श्री राम एस.एस. सांगोले, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा दिए गए सुझावों / रिपोर्ट में उल्लिखित सभी बिंदुओं का अनुपालन तत्परता के साथ किया जाए तथा कार्यान्वयन भी उसी के अनुरूप किया जाए। / All the points mentioned in the suggestions/report given by Shri Ram S.S. Sangole, Assistant Director (Implementation), should be followed promptly and implemented accordingly.
6. द्विभाषी में संचार करने के लिए नीति का पालन किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों में यदि यूजीसी/एमओई से संचार द्विभाषी में प्राप्त होता है तो पत्र हिंदी/अंग्रेजी द्विभाषी होना चाहिए। / Policy to be followed for communicating in Bilingual, in such cases if the communication from UGC/MoE is received in Bilingual then Letters should be Hindi/English bilingual.
7. पत्र लेखन प्रारूप सरकारी कार्यालयों में मानक अभ्यास के अनुसार तैयार किया जाए। / Letter writing format to be designed as per the standard practice in Govt. Offices.
8. श्री गौरव प्रकाश से अनुरोध है कि वे सभी कम्प्यूटरों पर यूनिकोड अनुप्रयोग का प्रशिक्षण आयोजित करें। / Shri Gaurav Prakash is requested to conduct the training on Unicode application in all computers.
9. हिंदी उप समिति कर्मचारियों द्वारा हिंदी संचार से संबंधित आंकड़े गूगल फॉर्म के माध्यम से एकत्रित करेगी। / Hindi Sub committee to collect the Hindi communications data by the staff through Google form.
10. राजभाषा पुरस्कारों के नियमों की जांच की जानी चाहिए तथा सभी कर्मचारियों को उनके नियमित कार्य में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। / Rules for Rajbhasha rewards to be checked and informed to all staff for maximum Use of Hindi in their routine work.

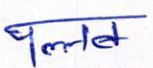

श्याम टी यादव

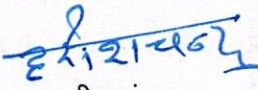

डॉ. नवनीत कुमार

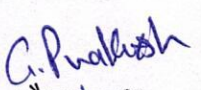

अमृता देवी

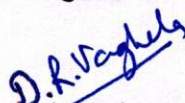

विकास पाल


डॉ. सुरभि


पल्लव प्रधान


हरीश चंद्र


गौरव प्रकाश

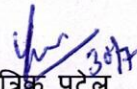

दिव्यकांत वाधेला

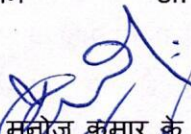

स्वप्निल पटेल


दिनेश आर प्रधान


डॉ. कृति त्रिवेदी


डॉ. अभिषेक कुमार


याश्रज पटेल


मनोज कुमार के

प्रो. देविका पी. मदल्ली